राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–मु.स.प्र. / 2020 / 1221 दिनांकः– 17/1/2020

उप आवासन आयुक्त,
राज.आवासन मण्डल,
वृत्त.............................. ।

विषयः– राजस्थान आवासन मण्डल स्वर्ण जयन्ती समारोह के अन्तर्गत उपहार योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर बुधवार नीलामी उत्सव में अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मण्डल द्वारा लॉटरी के माध्यम से उपहार प्रदान किये जायेंगे। इस योजना को **"राजस्थान आवासन मण्डल स्वर्ण जयन्ती उपहार योजना"** के नाम से जाना जायेगा। योजना दिनांक 22.01.2020 से दिनांक 19.02.2020 तक के लिए है। जिसमें मण्डल की आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्ति के केता पात्र होंगे।

योजना क्रियान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

1. यह उपहार योजना "बुधवार नीलामी उत्सव", ओपन काउन्टर सेल एवं खुली नीलामी के केताओं के लिए है।

2. योजना के अन्तर्गत उपरोक्त नीलामी योजनाओं के केताओं को लगभग 1,000/– रूपये मूल्य के निश्चित उपहार का प्रावधान किया गया है। निश्चित उपहार के अतिरिक्त प्रति पॉच केताओं पर एक केता को लॉटरी द्वारा एक स्कूटर उपहार में दिया जावेगा। यह लॉटरी पारदर्शी प्रकिया अपनाते हुए सफल केताओं की उपस्थिति में ही "**पर्ची सिस्टम**" से की जावेगी। लॉटरी में सफल केता को संलग्न प्रारूप अनुसार प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

3. लॉटरी निकालने के लिए ईकाई कार्यालय वह समस्त कार्यालय माने जायेंगे जहॉ नीलामी के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है यथा स्वतंत्र खण्ड कार्यालय अथवा वृत्त कार्यालय जहॉ नीलामी की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है।

4. किसी भी नीलामी दिवस पर पॉच अथवा पॉच के गुणाकों से अधिक सफल केता होने की अवस्था में अधिशेष केताओं को आगामी बुधवार की लॉटरी में सम्मिलित किया जा सकेगा। अन्तिम बुधवार दिनांक 19.02.2020 के सफल केता यदि पॉच के कम हों तो केवल निश्चित उपहार ही दिया जावेगा एवं यदि ऐसे केता पॉच से अधिक बचते हैं तो उनकी सम्मिलित रूप से एक ही लॉटरी निकाली जावेगी।

5. प्रत्येक सफल क्रेता को एक निश्चित उपहार व प्रत्येक पॉच क्रेताओं पर लॉटरी द्वारा देय उपहार के अतिरिक्त अन्त में बम्पर उपहार दिया जायेगा। 22.01.2020 से 24.02.2020 तक मण्डल द्वारा आयोजित होने वाले ''बुधवार नीलामी उत्सव'', ओपन काउन्टर सेल अथवा खुली नीलामी के सभी क्रेताओं में से पॉच क्रेताओं को एक कार उपहार में दी जायेगी। उक्त बम्पर लॉटरी कम्प्यूटराईज्ड रेण्डम पद्धति से दिनांक 21.02.2020 को सायंकाल 5.00 बजे राजस्थान आवासन मण्डल, मुख्यालय, जयपुर पर की जावेगी।

6. मण्डल द्वारा दिनांक 30.09.2019 से 25.11.2019 तक ई–ऑक्शन एवं दिनांक 04.12.2019 से बुधवार नीलामी उत्सव प्रारम्भ कर दिया गया था। अतः उपरोक्त दोनों योजनाओं की नीलामी में सफल क्रेताओं को भी उपहार स्वरूप 20 स्कूटर की सम्मिलित रूप से पृथक से लॉटरी आयोजित की जावेगी एवं पॉच कारों हेतु बम्पर उपहार योजना की लॉटरी में भी उन्हें सम्मिलित किया जावेगा।

7. उपहारों का वितरण वृत्त कार्यालय/खण्ड कार्यालय के स्तर से किया जायेगा। उपहार हेतु सफल क्रेताओं की घोषणा नीलामी दिवस पर ही कर दी जावेगी लेकिन सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य चुकाने के पश्चात् ही उपहार क्रेता को दिया जावेगा। सभी उपहार मुख्यालय स्तर से सम्बन्धित वृत्त/खण्ड कार्यालय को उपलब्ध करवा दिये जावेंगे।

8. राजस्थान आवासन मण्डल स्वर्ण जयन्ती समारोह के अंतर्गत दिनांक 22.02.2020 को आयोजित किये जाने वाले रक्तदान, नेत्रदान एवं अंगदान के कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पूर्व में पत्र क्रमांक 307 दिनांक 07.01.2020 द्वारा जारी निर्देशानुसार व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करें।

9. योजना के वित्तीय प्रावधानों हेतु ''राजस्थान हाउसिंग बोर्ड स्वर्ण जयन्ती समारोह सोसायटी'' का गठन किया गया है जिसका बैंक खाता संख्या 3796483807 IFSC code CBIN0283291 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान आवासन मण्डल शाखा, जयपुर (मुख्यालय) है। समस्त वृत्त एव खण्ड कार्यालय समारोह की सफलता हेतु अधिकाधिक प्रयास कर जन सहयोग/बोर्ड के द्वारा विशिष्ट आवंटियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर, वाणिज्यिक सम्पत्ति पर विज्ञापन एवं मण्डल की स्मारिका (जो कि coloured glossy paper में जारी की जावेगी) में विज्ञापन (inner full page Rs. 1.00 lakh, inner half page Rs. 50 thousand, inner back cover Rs.2.00 lakh & back page Rs.3.00 Lakh) से प्राप्त राशि उक्त सोसायटी के वर्णित बैंक खाते में चैक/डी.डी. के माध्यम से जमा करवायेंगे **परन्तु इस सम्बन्ध में नकद में कोई राशि स्वीकार नहीं की जावे।**

10. उपरोक्त उपहार योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए विज्ञापन बोर्ड आदि कार्यालय परिसर में बाहर व अन्दर तथा स्वायत्त शासन विभाग के चिन्हित स्थानों, सम्बन्धित आवासीय योजना/अपार्टमेंट/व्यावसायिक सम्पत्ति में भी लगाये जायें, इसका डिजाईन मुख्यालय से जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। साथ ही इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 936 दिनांक 19.11.2019 (संलग्न) में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

11. आपके कार्यालय क्षेत्र के प्रमुख राष्ट्रीयकृत/निजी बैंक से सम्पर्क कर प्रत्येक सोमवार से बुधवार (नीलामी दिवस सहित) बोलीदाताओं को ऋण सम्बन्धी सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु नीलामी स्थल/कार्यालय में काउन्टर लगवाया जाना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार।**

(पवन अरोडा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य अभियंता(मु.)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज.आवा.मण्डल,जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज.आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति.निजी सचिव, अति.मुख्य नगर नियोजक/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक (विधि),राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राज.आवासन मण्डल को प्रेषित कर लेख है कि बम्पर उपहार लॉटरी कम्प्यूटराईज्ड रेण्डम पद्धति से किये जाने सम्बन्धित सभी तैयारियॉं पूर्ण करें।
7. उप सचिव/संयुक्त निदेशक(सिस्टम एनालिस्ट)/जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड...
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती/श्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की योजना ....में आवास/फ्लेट/वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या .... दिनांक .... को बुधवार नीलामी उत्सव/ओपन काउन्टर सेल/खुली नीलामी द्वारा क्रय किया गया है।

इन्हें ''राजस्थान आवासन मण्डल स्वर्ण जयन्ती उपहार योजना, 2020'' की लॉटरी में सफल होने के फलस्वरूप एक स्कूटर मण्डल द्वारा नियमानुसार नीलामी राशि के सम्पूर्ण मूल्य का भुगतान करने के उपरान्त कब्जा पत्र के साथ उपहार स्वरूप प्रदान किया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवास मण्डल
वृत......................................

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : 936 दिनांक : 19/11/2019

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,,
वृत–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जयपुर
वृत–प्रथम / द्वितीय, जोधपुर,
वृत–बीकानेर, उदयपुर, अलवर एवं
कोटा।

विषय :– आवासन मण्डल के ई–ऑक्शन के पश्चात् उपलब्ध अधिशेष आवास / फ्लेट्स का सीलबंद निविदा "**नीलामी उत्सव**" द्वारा निस्तारण किये जाने बाबत।

जैसा कि विदित है कि प्रदेशभर में राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवासों / फ्लेट्स के निस्तारण हेतु ई–ऑक्शन कार्यक्रम दिनांक 25.11.2019 को समाप्त हो रहा है। ई–ऑक्शन के पश्चात् उपलब्ध अधिशेष आवासों / फ्लेट्स को माह दिसम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह से सप्ताहिक तौर पर प्रत्येक बुधवार को सीलबंद निविदा "**नीलामी उत्सव**" द्वारा निस्तारण किये जाने है। नीलामी उत्सव के सफल क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक आवासों / फ्लेट्स का निस्तारण सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से नीलामी कार्यालय स्थल पर निम्नानुसार तैयार की जानी है।

1. नीलामी स्थल की साज–सज्जा से उत्सव जैसी अनुभूति होनी चाहिए।
2. वृत / स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों द्वारा नीलामी हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र व प्रिन्टेड लिफाफे उपलब्ध करवाये जायेगे।
3. कार्यालय में बोलीदाता की सुविधा हेतु एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जावे, जिस पर चिन्हित मण्डल कार्मिक उपलब्ध रहे।
4. व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु उचित संख्या में कार्यालय परिसर में बाहर व अन्दर तथा सम्बन्धित आवासीय योजना / अपार्टमेन्ट में भी पर्याप्त संख्या में डिस्पले बोर्ड लगाये जाये।
5. आगन्तुकों के बैठने हेतु कुर्सियों सहित पेयजल एवं जलपान की उचित व्यवस्था की जावें।
6. बोलीदाता को मौका–मुआयना की सुविधा उपलब्ध करवाई जावें।
7. आवासन मण्डल (मुख्यालय) में नागरिक सेवा केन्द्र में कॉल सेन्टर प्रारम्भ किया जावेगा जो कि संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) के अधीन कार्य करेगा।

आपसे अपेक्षा है कि सीलबंद निविदा "**नीलामी उत्सव**" हेतु सभी आवश्यक सूचनाएं दिनांक 25.11.2019 तक मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

(पवन अरोडा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
14. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/(मु.) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
16. उप आवासन आयुक्त, वृत.. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
17. आवासीय अभियंता, खण्ड.......................... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
18. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
19. सहायक निदेशक जनसम्पर्क अधिकारी/नगरीय विकास विभाग, रा.आ.मं., जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

Form -I

Position as on ....

RAJASTHAN HOUSING BOARD CIRCLE- ....

Details of available House/Flats (Residential) to be Disposed Through *"NEELAMI UTSAV"*

S. No.	Name of Scheme	Name of Division	Category	House/ Flat (Floor wise)	Accomodation (1/2/3/4 BHK)	Reserve Price (2019-20)	Numbering of House/Flat No. (Floor wise)	Min. Bid Price (MBP)	Tentative Lease Money	Tentative ASC.	Misc. Charges	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13